न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 161 / 2020

अमीर खान पुत्र बसीर खां जाति मेव निवासी नीमली बास धौलेट तहसील पहाडी

प्रार्थी

बनाम

1. बसीर पुत्र इस्माईल
2. साकिर
3. जुनेद
4. आमिर
5. जाकिर पिसरान बसीर जाति मेव निवासी नीमली बास धौलेट तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0।
6. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील पहाडी (भरतपुर)।
7. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, पहाडी (भरतपुर)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री मौहम्मद खाँ वकील प्रार्थी
2. श्री सतीश शर्मा वकील अप्रार्थी संख्या 1

दिनांक :– 18.03.2021

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 74 / 0.33, 1796 / 0.11, 449 / 0.28, 44 / 0.23, 46 / 0.62, 75 / 0.14, 211 / 0. 43, 1014 / 0.42, 1015 / 0.42, 1016 / 0.31, 135 / 0.26, 1606 / 0.17, 1607 / 0. 54, 168 / 0.35, 1740 / 0.24, 1795 / 0.11, 1798 / 0.50, 1812 / 0.18, 1814 / 0. 18, 1818 / 0.06, 1847 / 0.18, 198 / 0.07, 23 / 0.14, 241 / 0.23, 439 / 0.05, 567 / 0.55, 706 / 0.30, 707 / 0.23, 708 / 0.24, 709 / 0.22, 710 / 0.39,

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

1040/0.05, 1819/0.11, 1844/0.17 बांके ग्राम धौलेट तहसील पहाडी में स्थित है। पक्षकारान मुकदमा एक ही परिवार के सदस्य है तरतीवी प्रतिवादीगण 8 व 9 वक्त दावा दायरी उपस्थित नहीं हो सके इसलिए उन्हे दावे में तरतीवी प्रतिवादी बनाया गया है जिनके हित व हक वादी के समान है। आराजी मुतदाविया पैतृक आराजी है जिसमें वादी गैरसायलान एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का समान हिस्स है और जिसमें प्रार्थी का जन्म से अधिकार है। प्रार्थी गैरसायल संख्या 1 लगायत 5 व तरतीवी प्रतिवादीगण के दादा इस्माईल की फौती के बाद उसके पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 बसीर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज हो गई । प्रार्थी आराजी के 1/8 हिस्से को अपने पिता व भाईयों के साथ रहकर वाहिस्सा बराबर काश्त करता चला आ रहा है और आराजी मुतदाविया में वाहिस्सा बराबर का 1/8 हिस्सा है तथा आराजी प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 1 के साथ वाहिस्सा बराबर का कब्जा व काश्त है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम समस्त आराजी का इन्द्राज अकेले के नाम गलत दर्ज होता चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त गलत इन्द्राज को कलमजन कराकर अपने आपको वाहिस्सा बराबर 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने का अधिकारी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 वृद्ध व्यक्ति है और जिसके सोचन समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है जिसका अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 को बहला फुसलाकर प्रार्थी के हिस्सा 1/8 को अपने नाम कराना चाहते है एवं आराजी को बेचान करना चाहते है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 आराजी को बेचने की फिराक में है और अप्रार्थी संख्या 1 आराजी मुतदाविया को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के नाम कर प्रार्थी को आराजी से बेदखल करना चाहता है। जिसकी धमकी दिनांक 18.11.20 को ग्राम धौलेट में स्पष्ट शब्दो में दी है। यदि अप्रार्थीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को भारी क्षति एवं नुकसान अजीम होगा। जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से कदापि सम्भव न हो सकेगी। विधि वजह प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण जरिये हुक्म इम्तनाई चन्द रोजा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। प्राईमा फैसाई केस , सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति मुझ प्रार्थी के पक्ष में प्रकट होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई चन्द रोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे कब्जे काश्त प्रार्थी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे कब्जा नाजायज नहीं करे प्रार्थी एवं तरतीवी प्रतिवादी को उनके हिस्से 1/8–1/8 वाहिस्सा बराबर से बेदखल न करे एवं आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहनवय मुन्तकिल न करें रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध दिनांक 03.02.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आया दिनांक 3.02.2021 को जबाब इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व उसके भाईयों को मुताबिक कानून विरासतन प्राप्त हुई है और अप्रार्थी संख्या 1 अपने 1/4 हिस्सा की आराजी पर काफी अरसे से शान्ति पूर्ण तरीके से काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। जिससे प्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही आज है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा 1/8–1/8 हिस्से का वर्णन गलत किया गया है। क्योकि मुताबिक कानून पिता के जीवित रहते हुए उसके वारिसान का आराजी मुतदाविया में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं बनता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिले खारिजी है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड अप्रार्थी संख्या 1 बसीर के नाम दर्ज है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 का वारिस है। अप्रार्थी संख्या 1 वृद्ध होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 इस बात का फायदा उठाकर समस्त आराजी अपने नाम कराना चाहते है। अगर वो इस बात में कामयाब हो गये तो प्रार्थी अपने हिस्से से वंचित रह जायेगा। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी की अपेक्षा प्रार्थी में निहित है।

2. **सुविधा सन्तुलन :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड अप्रार्थी संख्या 1 बसीर के नाम दर्ज है। अगर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 आराजी को अपने नाम करा लेते है तो प्रार्थी को ही असुविधा होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी में ही निहित है।

3. **अपूरणीय क्षति :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण की अपेक्षा प्रार्थी में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण की तुलना में प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.11.2020 को ताफैसला मूल बाद कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.03.21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
बहाड़ी (भरतपुर).

उपखण्ड अधिकारी
बहाड़ी (भरतपुर)